राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

योजना प्रारम्भ तिथि 01/12/2016 **अंतिम तिथि 15/01/2017**

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से वर्ष 2016–17 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओ के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 01/12/2016 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के इ–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों मे पढने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 12 में पढने वाले दिल्ली के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी योजना।
2. कक्षा 1 से 12 में पढने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबधित विद्यार्थियो को लेखन सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक सहायता।
3. स्कूलों मे पढ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
4. कालेज/व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों मे पढ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबधित विद्यार्थियों की योग्यता छात्रवृत्ति।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डा. बी. आर. अम्बेडकर राज्य टॉपर्स पुरस्कार।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–परवर्ती छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम–सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग से संबधित छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम–सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)।

टिप्पणी :

क **क्रम संख्या 1 से 5 की योजनाऐं राज्य पोषित है।**

ख **उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत विवरण जैसे पात्रता और आर्थिक सहायता संबधी आदि विभाग की बेवसाइट "scstwelfare.delhigovt.nic.in" पर उपलब्ध है।**

आवेदन कैसे करें :–

1. इन योजनाओं के लिए आवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के ई. डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो कि **https://www.edistrict.delhigovt.nic.in** के माध्यम से किया जा सकता है।
2. योजना सं. 1, 2, और 3, का लाभ एक साथ लिया जा सकता है, जबकि, स्कूल के छात्र एक ही वर्ष मे राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं (राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल NSP 2.0 और e.district पोर्टल) में एक साथ आवेदन नही कर सकते है।
3. किसी भी छात्रवृत्ति योजना के आवेदन करने हेतु छात्र की आधार संख्या और छात्र के बैंक खाते को आधार के साथ जुडे होने की आवश्यकता है।
4. आवेदनकर्ता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के ई. डिस्ट्रिक्ट पोर्टल **https://www.edistrict.delhigovt.nic.in** पर अपना आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या का उपयोग करके पंजीकरण करवाना होगा और छात्र की योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति योजना को चुनेगा तथा छात्र की सम्पूर्ण जानकारी भरेगा। यदि आवेदनकर्ता ई. डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है तो वह सीधे लॉग–इन करके छात्र की योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
5. आवेदनकर्ता अपने रिकॉर्ड के अनुसार सम्पूर्ण जानकारी भरेगा और छात्र का फोटो और स्वयं सत्यापित सभी कागजातो की प्रतिलिपि चुनी गई छात्रवृत्ति योजना के अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा।
6. आवेदनकर्ता द्वारा भरी गई जानकारी को संबधित विद्यालय/कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को लॉग–इन के माध्यम से भेज दिया जाएगा। स्कूल /कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार पोर्टल मे लॉग–इन करके छात्र की दी गई जानकारी की जांच करके सत्यापित और अधिकृत करेंगे। तत्पश्चात, संबधित प्रशासनिक विभाग के क्षेत्रीय/जिला/मुख्यालय के द्वारा लॉग–इन करके आवेदन पत्रों का सत्यापित और अप्रूव करके डीएससीएसटी को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर देंगे।
7. पोर्टल पर कार्य करने के लिए, विद्यालय/कालेज/तकनीकी शिक्षण संस्थान login ID and Password प्राप्त करने के लिए अपने संबधित प्रशासनिक विभाग जैसे शिक्षा निदेशालय/उच्च शिक्षा निदेशालय/ तकनीकी शिक्षा निदेशालय में 01/12/2016 के बाद सम्पर्क कर सकते है।
8. संबधित विद्यालय/कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय का नोडल आफिसर शिक्षा संस्थान का सही DIAS/HIAS/AISHE CODE भरने और अपने संस्थान द्वारा पढाये जाने वाले सभी कोर्स, कार्यक्रम आदि की जानकारी भरने के लिए पूर्ण रुप से जिम्मेदार होंगे। जिससे कि लाभार्थी छात्र को पोर्टल पर एक ही बार मे अपने स्कूल/संस्थान को चयन करने मे मदद मिलेगी।
9. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन–लाइन आवेदन किए गए आवेदन पत्र की प्रति अपने पास भविष्य में सन्दर्भ के लिए रखें।

10. जो दिल्ली के छात्र दिल्ली के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों मे पढ रहें है, (केवल उपरोक्त छात्रवृत्ति योजना सं. 4 और 6 के लिए) ऑन–लाइन आवेदन करके भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति के भाग में प्रमाणपत्र फार्म को संबधित शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रमाणित करवाकर पोर्टल पर प्रमाणपत्र को अपलोड करेंगे, तत्पश्चात, आवेदनकर्ता सत्यापित आवेदन पत्र और सभी संबधित कागजातों के साथ आवेदन पत्र को आनलाइन आवेदन करने के 30 दिन के अन्दर रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से उप निदेशक (छात्रवृत्ति) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में पहुच जाना चाहिए।

<u>शिक्षण संस्थानों के लिए</u> :–

छात्रवृत्ति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को दिशानिर्देश, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की तात्कालिक जानकारी के लिए अपने प्रशासनिक विभाग के सम्पर्क में रहना चाहिए।

विद्यालय/कालेज/तकनीकी संस्थान जिनके संस्थान का नाम इ–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थित सूची में नही शामिल है वे आवश्यक जानकारी जैसे कि संस्थान की जाकारी, पता, जिला, जोन, पिनकोड सम्पर्क फोन संख्या विद्यालय ID/DISE Code/AISCHE Code, मान्यता प्राप्त संबन्धी जानकारी और अधिकारिक व्यक्ति की ई–मेल आइडी, नाम और मोबाइल नं0 आदि को संस्थान के लेटर हेड पर अपने प्रशासनिक विभाग में भेज सकते है।

योजना संख्या–1

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों मे पढने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 12 में पढने वाले दिल्ली के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी योजना।

पात्रता :

क दिल्ली स्थित मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों मे कक्षा 1 से 12 में पढने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र जिनके माता पिता/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

ख 60000/– रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार से संबद्ध विद्यार्थियों को शत प्रतिशत टयूशन फीस वापसी की जाएगी जबकि जिन छात्रों के माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 60000/– रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये के बीच होने की स्थिति में 75% टयूशन फीस का भुगतान किया जाएगा।

ग कक्षा 1 से 5 में पढने वाले छात्रों के लिए पिछली कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत की कोई सीमा लागू नही है, किन्तु कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले मे पिछली कक्षा मे न्यूनतम प्राप्तांक का प्रतिशत 50 होना आवश्यक है।

घ सभी विद्यार्थियों के लिए पिछले शैक्षणिक वर्ष में हाजिरी का प्रतिशत 80 होना आवश्यक है।

टिप्पणी : आवेदनकर्ता को प्रथम छह माह जो कि अप्रैल से सितम्बर 2016 या पूर्ण वर्ष यदि भुगतान किया जा चुका है की फीस अदायगी की मूल रसीदों को अपलोड करना होगा।

योजना संख्या–2

कक्षा 1 से 12 में पढने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबधित विद्यार्थियो को लेखन सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक सहायता :–

पात्रताः

I. विद्यार्थी की हाजिरी पिछले शैक्षिक वर्ष में 70% से कम नही होनी चाहिए।

II. विद्यार्थी के माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए और इसके लिए स्वघोषणा प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

आर्थिक सहायता की दर :

क कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए – 1000/– रुपये प्रतिवर्ष।

ख कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए – 2000/– रुपये प्रतिवर्ष।

नोट :– मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों में पढने वाले छात्र व्यक्तिगत रुप से इ–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है।

शिक्षा निदेशालय से सम्बंद्ध सभी सरकारी स्कूलों पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली पालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबधित विद्यालयों मे पढने वाले पात्र छात्रों की विद्यालय जांच करेगा और पात्रता के अनुसार योग्य पाये जाने पर पात्र छात्रों की नियमानुसार सूची तैयार करेगा और अनुमोदन के पश्चात एकत्र आंकडों को पोर्टल पर अपलोड करेगा।

योजना संख्या–3

स्कूलों मे पढ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति :–

पात्रता :–

i. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों मे कक्षा 1 से 12 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नही है, और अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदको के लिए माता पिता/अभिभावक की अधिकतम आय 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए।

छात्रवृत्ति की दर :–

क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	पिछले शैक्षणिक वर्ष में अंको का प्रतिशत	छात्रवृत्ति राशि (रुपये में) प्रतिवर्ष
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक	1 से 8	आवश्यकता नही	1000
2	अन्य पिछडा वर्ग	6 से 8	55 से 60 के बीच	600
			60 से अधिक	720
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग	9 से 10	55 से 60 के बीच	1620
			60 से अधिक	2040
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग	11 से 12	55 से 70 के बीच	3000
			70 से अधिक	4500

नोट :– मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों में पढने वाले छात्र व्यक्तिगत रुप से इ–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है।

शिक्षा निदेशालय से सम्बंद्ध सभी सरकारी स्कूलों पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली पालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबधित विद्यालयों मे पढने वाले पात्र छात्रों की विद्यालय जांच करेगा और पात्रता के अनुसार योग्य पाये जाने पर पात्र छात्रों की नियमानुसार सूची तैयार करेगा और अनुमोदन के पश्चात एकत्र आंकडों को पोर्टल पर अपलोड करेगा।

योजना संख्या–4

कालेज/व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों मे पढ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबधित विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति :–

पात्रता :–

क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र ने पिछले शैक्षिक वर्ष मे विद्यार्थी ने कम से कम 60**%** या अधिक अंक प्राप्त किए हो।

ख यह छात्रवृत्ति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से संम्बद्ध या मान्यता प्राप्त कालेज/तकनीकी शिक्षण संस्थान मे डिग्री/डिप्लोमा कोर्स/ परा स्नातक या व्यवसायिक तकनीकी कोर्स मे पढने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए है।

छात्रवृत्ति की दर :–

सहायता की राशि और शिक्षा का स्तर :

समूह 'क'

(i). मेडिकल/इंजीनियरिंग/बी. एससी. (कृषि)/पशु चिकित्सा विज्ञान/फोरेंसिक साइंस/उच्चतर तकनीकी एवं व्यावसायिक अध्ययन संबंधी डिग्री पाठ्यक्रम

(ii). इंडियन मेडिसिन में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम बीएएमएस और आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बिया और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में समकक्ष पाठ्यक्रम।
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए 1620/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।
डे–स्कॉलर यानी स्वयं के निवास से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 900/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।

(iii). उपरोक्त विषयों मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्क्रमों में स्नातकोत्तर।
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए 1860/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।
डे–स्कॉलर यानी स्वयं के निवास से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 960/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।

समूह 'ख'

(i). इंडियन मेडिसिन बीएएमएस में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम और आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बिया एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों में समकक्ष पाठ्क्रम।

(ii). इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, मुद्रण प्रौद्योगिकी, ओवरसियर, ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर, होटल प्रबंधन, खान–पान, अनुप्रयुक्त पोषण, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, वायरलेस और टीवी ऑपरेटर साउंड रिकार्डिंग और इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, फिल्म निर्देशन, अभिनय, स्क्रीनप्ले राइटिंग (पटकथा लेखन) में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम।

(iii). विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए 1100/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।
डे–स्कॉलर यानी स्वयं के निवास से पढने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 720/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।

समूह 'ग'

इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और मेडिसन डिप्लोमा तथा कृषि/पशु चिकित्सा विज्ञान/मत्स्य उद्योग/डेयरी/जन स्वास्थ्य/सैनिटरी इन्स्पैक्टर/ग्रामीण सेवाएं/पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्क्रम/नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में सब–आफिसर्स पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण/पुस्तकालय विज्ञान/शारीरिक शिक्षा/संगीत/ललित कलाओं/विधि/क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर/यात्री परिवहन प्रबंधन में डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/फार्मेसी में असोसिएट डिग्री।
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए 930/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।
डे–स्कॉलर यानी स्वयं के निवास से पढने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 630/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।

समूह 'घ'

(i). स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रम
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए 804/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।
डे–स्कॉलर यानी स्वयं के निवास से पढने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 420/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।

(ii). कला एवं वाणिज्य और अन्य विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए 930/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।
डे–स्कॉलर यानी स्वयं के निवास से पढने आने वाले विद्यार्थियों के लिए 630/– रुपये प्रतिमाह (12 महीने के लिए)।

योजना संख्या–5

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डा. बी. आर. अम्बेडकर राज्य टॉपर्स पुरस्कार (स्नातक स्तर के तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने दिल्ली के शिक्षण संस्थान में व्यावसायिक/तकनीकी स्नातक स्तर पर अपने विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हो राज्य टॉपर्स पुरस्कार के रुप में 8000/– रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

कालेज/विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रवृत्ति योग्य छात्र इस योजना का लाभ ले सकें, अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने के लिए छात्रों की सहायता की जा सके।

योजना संख्या–6

दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर किन्तु भारत में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–परवर्ती छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम–सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)।

पात्रता :

I. छात्रवृत्ति दिल्ली के उन सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिनके माता पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतो से एक लाख रुपये से अधिक नही है और जो मैट्रिक/सेकण्डरी परवर्ती (कालेज/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान) स्तर का अध्ययन वर्ष 2016–17 मे सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में कर रहे है।

II. आवेदनकर्ता की छात्रवृत्ति के लिए पात्रता का निर्णय और निष्पादन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और समय समय पर जारी आदेशों के आधार पर किया जाएगा।

योजना संख्या–7

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबधित अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 10 मे पढने वाले छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम–सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)।

पात्रता :–

क यह छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबधित दिल्ली में रहने वाले कक्षा 1 से 10 में पढने वाले छात्र जो सरकारी/सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों मे पढते हैं, को प्रदान की जाती है।

ख यह छात्रवृत्ति दिल्ली के उन सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिनके माता पिता/अभिभावक की सभी स्रोतो से वार्षिक आय 44500/– रुपये से अधिक नही है।

छात्रवृत्ति की दर (रुपये में) :–

क्र. सं.	कक्षा	डे–स्कॉलर के लिए (रुपये में)	छात्रावास में रहने वाले छात्र के लिए (रुपये में)	तदर्थ अनुदान (रुपये में)	कुल लाभ (प्रतिवर्ष) (रुपये में)
1	1 से 5 तक	250/–	––	500/–	750/–
2	3 से 8 तक	––	2000/–	500/–	2500/–
3	6 से 8 तक	400/–	––	500/–	900/–
4	9 से 10 तक	––	2500/–	500/–	3000/–
5	9 से 10 तक	500/–	––	500/–	1000/–

सचिव